रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 989] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2017/अग्रहायण 20, 1939
No. 989] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2017/ AGRAHAYANA 20, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1502(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2017 को अनुमोदन देती है।

2. उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2017" होगा।

(ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 की अनुसूची में, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत -

(1) सीरियल नंबर 4 पर, वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए कॉलम सं. 8 के उपबंधों को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाए

"अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्धारित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि या स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा

(iii) किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में संगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के मामले में 10 वर्ष का और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के मामले में 12 वर्ष का शैक्षणेत्तर अनुभव।"

(2) सीरियल नंबर 5 पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए कॉलम सं. 8 के अंतर्गत उपबंधों को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्धारित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि या स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा

(iii) किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में संगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के मामले में 16 वर्ष का और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के मामले में 18 वर्ष का शैक्षणेत्तर अनुभव।"

[फा. सं. पीआर-12012/11/2017-पीई-I]

सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली दि. 21 जनवरी, 2011 को सं.- सा.का.नि. 43(स्था.) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

(i) सा.का.नि. सं. 889(स्था.), दिनांक 19 नवम्बर, 2015

(ii) सा.का.नि. सं. 150(स्था.), दिनांक 8 फरवरी, 2016

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2017

G.S.R. 1502(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Jawaharlal Nehru Port Trust

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017

In exercise of powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely :

1. Short Title and Commencement :

    (i) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

    (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule ,under the Medical Department :-

(1) for the post of Senior Dy. Chief Medical Officer at serial No:4, the provisions under column No. 8 shall be substituted as under:-

"Essential:

i) MBBS Degree from a recognized University.

ii) A Post Graduate (PG) Medical Degree or PG Medical Diploma in the specified specialty from a recognized University.

iii) Post qualification experience of 10 years in case of PG Degree holders and 12 years experience in case of PG Diploma holders in the relevant field of specialization in a reputed hospital."

(ii) for the post of Chief Medical Officer at serial No.5, the provisions under column No. 8 shall be substituted as under:-

"Essential:

i) MBBS Degree from a recognized University.

ii) A Post Graduate (PG) Medical Degree or PG Medical Diploma in the specified specialty from a recognized University.

iii) Post qualification experience of 16 years in case of PG Degree holders and 18 years experience in case of PG Diploma holders in the relevant field of specialization in a reputed hospital".

[F. No. PR-12012/11/2017-PE-I]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulations published *vide* G.S.R. 43(E) dated 21st January, 2011 and subsequently amended *vide* :—

(i) G.S.R. No. 889(E), dated 19th November, 2015.

(ii) G.S.R. No. 150(E), dated 8th February, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.12.12 12:16:35 +05'30'